(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1 (For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector New Tehri

No

Dated 49/9/16.

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Complinance Of The Ministry Of Environment And Forests (MOEF), Government Of India's Letter No 11-9/98-FC(Pt) Dated 3rd August 2009 Wherein The Moef Issued Guidelines On Submission Of Evidences For Having Initiated And Completed The Process Of Settlement Of Rights Under The Scheduled Tribes And Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition Of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', For Short) On The Forest Land Proposed To Be Diverted For Non-Forest Purposes Read With Moef's Letter Dated 5th February 2013 Wherein Moef Issued Certain Relaxation In Respect Of Linear Projects, It Is Certified That 9.887 Hectares Of Forest Land Proposed To Be Diverted In Favour Of Irr Div-2 PMGSY, New Tehri For The Construction Of Km-15 Of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road To Ragar Gaon (15.675 Km) In Tehri District Falls Within Jurisdiction Of Ragad Gaon Village In Manufilehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the (a) FRA has been carried out for the entire 9.887 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as (b) required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; \

The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups (c) and Pre-agricultural communities. (इन्दुवर बौड़ाई) जिला अधिकारी

As above. Eucl: -

> Signature (Full name and official seal of the Distric

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand No Office of the District Collector New Tehri Dated 29/9/16

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 9.887 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Irr Div-2 PMGSY, New Tehri for the Construction of Km-15 Of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road To Ragar Gaon (15.675 Km) in New Tehri district falls within jurisdiction of Ragad Gaon village in [1.30]. Tehsils.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>9.887</u> hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of high different villages(s) is enclosed as annexure.......To annexure......
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector

It is further certified that Minutes of Meeting of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road Km. 15.00 to Ragar Gaon Motor Road (Length-15.675 Km.) regarding FRA is as

allowing	00 to Ragar Gaon Motor Road (Length 1916) g- (Meeting date .2916.116)	Remarks
Sr.No.	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.887 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (S) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed b the Government as required under section 3 (2) of the FRA, have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. Yes copy of attached as there habitants belong scheduled tribes at traditional Forest No objection cert concerned regarding construational foresaid motor attached.	habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultura communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging t scheduled tribes and othe traditional Forest Dwellers.

जिला पंचाय सदस्य टिहरी गढ़वाल

िजिलस्समाजकल्याण अधि नरेन्द्रनिट हरी देव हैं वाल

नपूरी वन्मसूरींग, मसूरी

(इन्दुक्रर बौड़ाई) ज़िला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

Signature (Full name and offical seal District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After Scrutiny Of The Documents And Detailed Discussions, No Objection/Claims Were Found To Have Been Made & Hence District Level Committees Recommend The Above Case For Diversion Of Land For The Said Purpose.

Place;.....

Dated:....

Deputy Commissioner sum Chairman District Level Commistee

टिहरी गढ़वाल।

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तंगत जनपद टिहरी के जानपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कद्दृखाल मोटर यार्ग के कि0मी0 15 से रगडगाव संरेखण प्रस्ताव कि0मी0 (15.675 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

> कार्यालय उप जिलाधिकारी, धनौल्टी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवारी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति.

उपखण्ड जानपुर परिक्षेत्र के. अन्तिगत जनपद टिहरी के जीनपुर विकास खण्ड में रायपुर—कुमाल्डा—कद्दूखाल मोटर नार्ग के किं0मी० 15 से रगड़गाव (7.455 है० आरक्षित वन भूमे 0.136 है० सिविल एवं सीयम 2.296 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 9.887 है० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (प्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तिरति किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तिगत उपखण्ड स्तरीय समिति (वहसील धनोल्ही) की विनांक — को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बँठक श्री ———————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानसार है।

उपखण्ड राविय द्वारा माननीय संवस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलांधिकारी की अनुमति स बैठक की कार्यवाही प्राण्म्य की गई। माननीय संदर्शों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री पान सड़क योजना के अन्तंगत जनपद टिहरी के जैनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 में रंगडपाय मोटर मार्ग परियोजना हेतु 9.887 है0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय संदर्शों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तंगत बनाधिकार का कोई मामला लिवत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत् प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सदस्य

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तंगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्भित से उपखण्ड देहरातून परिक्षेत्र के अन्तंगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर—कुमाल्डा—कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगुडगाव मोटर गार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 9.887 हैं। वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास दिभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी श अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी . को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

बीएडीएसी०

परियोज । का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जाँनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगडगाव संरेखण प्रस्ताव कि0मी0 (15.675 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापित प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम रगडगाव धनोल्टी , जिला टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अर्न्तगत जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर—कुमाल्डा—कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगडगाव मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (7.455हैं) आरक्षित वन भूमि, 0.136 हैं। सिविल एवं सोयम, 2.296 हैं। वन पंचायत भूमि, 1.085 हैं। नाप भूमि अर्थात कुल 9.887 हैं। वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तृत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रगडगाव द्वारा दिनांक. 81-116. को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा रपष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त गाम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रगडगाव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रिम सचिव मृहर सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जाड़ शाला विक खार्म अपुर जिला-टिकाक





दिनांक 81216 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सम्बनाव कोकालियालग्राव

कुगांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	२० में सिंह
1	Fan Fie	
2	ZUSTOTES	साजियासर
3		उम्मव रिके
4	भारत्य विष्ट	ग्राचाराहरू
5		द्वीप सिंह
6	दलीप पिर	ज्यानामाह राज्य
7	ZIM IFE	1137498
8	राजे द्वी पिंद	31-11/18
9	दाम किट	चरण । परे
10	- 470160 €	में हनसिंह
11	लाकिन्द्र किंद	massian
12	annin life	क प्रानिस रे
	479 102	स्रोन्द्र सिट
13		नरेन्य सिंह
14	ग्रेन्द्र । ।	21/3 ROE
15	खरेन्द्र कि	राषे-द्र सिंह
16	राजेन्द्राण्ट	रे विन्द्र ।सह
17	रविन्द्र किश	2 140 CHE
18	मद्ना लिह	<u>क्रिक्र</u> । स्व क्र
19	on ontoffee	2149
20	। भद्रा हिंद	ग्राम प्रधान वं चायम कोक ि

ग्राम प्रधान व वायय कोक लिक ह े बिलांक किंग हिल्ली किंग के विनांक

प्रपन्न 30.5

दिनांक .8.2.16.को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रगडगाव

p मांक	ग्राम सभा में उपरिशत वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	ज्ञामाहन हिं	जामाहन पिह
	र्भरन्द सिंह	305 (88)
	डलवार सिर्ह	5000 P3
	हरेन्द्र विदे	राज-द्राप्ति ह
5	र्गिन्द सिंह	201-781610
6	अग्रामान मिर्ह	नगर्गासाः
7	तारा मिहं	
8	विनीह	विभाग देवी
10	विभला देवी	los -
11	मध् देवी	110/2 (Lie
12	ज्ञाबर हिं	रतनसिंह
13	201/68	desolated
14	नमणल कि	जिल्लामा हिन्द
15	मभना देवी	ममता देवी
16	भगता ५वा	
17		
18		

ग्राम प्रधान

प्रपन्न 30.5

दिनांक 8 2 16...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रगडगाव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	यवाप सिह	उताप किट
2	मंगल मिंह	मंगल सिंह
3	219081278	इक्षेक्ष्य
4	विक्रम छिट	199718
5	क्षाल छिट	र पान्यानि ह
6	विक्रम् विह	विकाम सिंह
7	210निष्ट यह	राजेन्द्र सिंह
8	चिम किह	
9	व्ह पालं फिह	त्रामारीत
10	21म लाल	राम का ग
11	जिया कि है	जमार्हर
12	214 कि	रामिस
13	व्ययन हिंहे	3 Dichores
14	उद्ये फिट	पदम सिंह
15	ब्रार विह	कीराहिट
16	-arcen lise	JoG0118E
17	मार किहे	खरेट रिने ह
18	मार किं	मोराहिट्

